भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 322
20 जुलाई, 2022 को उत्तरार्थ

कृषि समितियों का पंजीकरण

322. श्री बी लिंग्याह यादव:

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई कृषि सहकारी समितियां पंजीकृत नहीं थीं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या प्रशासन में पारदर्शिता होनी चाहिए, यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केंद्र सरकार देश भर में लगभग 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को नियंत्रित करने के लिए आदर्श उपनियम लाने के लिए तैयार है और सहकारी समितियों के लिए राष्ट्रीय स्तर की नीति बनाने का विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क): किसी समिति को एक सहकारी समिति के रूप में कार्य करने के लिए उसे राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सहकारिता अधिनियमों के अधीन या बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन पंजीकृत होने की आवश्यकता है । ऐसी सहकारी समितियां जो केवल किसी एक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में कार्यशील है**,** वे संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार के कानूनों द्वारा शासित होती हैं और ऐसी सहकारी समितियां जो एक से अधिक राज्यों में कार्यशील हैं, वे 'बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (2002 का 39)' नामक केन्द्रीय कानून द्वारा शासित होती हैं । उनके पंजीकरण**,** प्रशासन**,** आदि से संबंधित किसी भी मामले का समाधान उपर्युक्त संबंधित कानून के अनुसार किया जाता है । यह उल्लेख किया जाता है कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) का पंजीकरण और प्रशासन संबंधित राज्य सहकारी कानूनों के अधीन किया जाता है।

(ख) और (ग): 63,000 पैक्स के कंप्यूटरीकरण की एक केन्द्र प्रायोजित परियोजना की भी शुरूआत की गई है ताकि उन्हें अपने डिजिटलीकरण में और अपने व्यवसायों को शुरू से अंत तक स्वचलीकरण में और भी अधिक सहायता मिल सके जिससे इसके प्रशासन में पारदर्शिता आएगी और पैक्स के कामकाज में विश्वसनीयता बढ़ेगी ।

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को बहुउद्देशीय जीवंत व्यावसायिक इकाई बनाने के लिए राज्य सरकारों, राष्ट्रीय सहकारिता संघों और अन्य सभी हितधारकों के परामर्श से प्रारूप मॉडल उप-नियम तैयार किए जा रहे हैं । उनके प्रचालन में पेशेवरता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए इन प्रारूप मॉडल उप-नियमों में विभिन्न प्रावधान शामिल किए गए हैं ।

सरकार सहकारिताओं के लिए राष्ट्रीय स्तर की एक नई नीति भी तैयार कर रही है और सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सहकारिता सचिवों/रजिस्ट्रार सहकारी समिति के साथ नई सहकारी नीति पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन दिनांक 12 और 13 अप्रैल, 2022 को किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विधिक अवसंरचना; विनियामक, नीति व प्रचालन अवरोधों की पहचान; सुगम व्यवपार; शासन सुद्दढ़ीकरण हेतु सुधार; नए और सामाजिक सहकारिताओं का संवर्धन; निष्क्रिय समितियों को पुनर्जीवित करने; सहकारी समितियों को जीवंत आर्थिक इकाई बनाने; सहकारी समितियों के बीच सहयोग एवं सहकारी समितियों के सदस्यों में बढ़ात्तरी करने पर विचार-विमर्श किया गया ।

*****